

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 25/2019 र जस्थान भू-राजस्व अधि नेयम, 1956 धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

बनान

श्री कृष्णाएक पुत्र किराणाएक

पटवारी हल्का राजापुर

जाते मधुपल निवासी देवाणी
तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकान गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की उप./...। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजापुर...ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम... देवाणी...के खसरा नम्बर 2561... रकबा 49.05 बीघा में से 0-11 बीघा किम्... श्रीरदुगोण...राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैरसायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमण भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णाक का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षर 42500 रुपये मात्र सं आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल हो।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षण भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/07/19 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडरारोड
तहसीलदार गडरारोड

जुमाना 50/- फसल नि.
कुल योग 50/- जि.के पृष्ठ सं. 26
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया :

तहसील राजस्व लेखाकार